


23.09.2025 वकील वार्दीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकील मय वादी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा वादी का वाद अदम्य पेरवी व अदम्य हाजिरी में खारिज किया जाता है।

फरवली कौनसु सुमार होकर दायरेल इतर


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा